न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण सं. 03/2014

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1.उमराव खां पुत्र पूजे खां जाति–मुसलमान निवासी माखुपुरा तह–सांचौर जिला –सांचौर (राज.)		1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारी सांचौर

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट नियम 1956

तारीख रजू:– 29.01.2014

उपस्थित:–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री इब्राहीमशॉह ।
2. अप्रार्थी राज पैरोकार, तहसीलादर सांचौर।

दिनांक 10/6/24

निर्णय

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा मौखुपुरा तहसील सांचौर में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 15 के खसरा नम्बर 2862/3176 रकबा 0.09 हैक्टयर भूमि द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा प्रार्थी के खाते दर्ज की गई, जबकि उक्त खसरा नम्बर मौके पर गै.मु. गौचर है एवं प्रार्थी के कब्जा काश्त में भी नही है। द्वितीय सेटलमेंट के कार्मिको ने नवीन खसरा नम्बर 2862 रकबा 0.13 हैक्टयर किस्म गै.मु.गौचर, जो प्रार्थी के कदीमी जो कि मौके पर काबिल काश्त है। इस प्रकार द्वितीय सेटलमेंट के अधिकारियों ने गौचर भूमि खसरा नम्बर 2862/3137 रकबा 0.09 हैक्टयर प्रार्थी के खातेदारी में जबकि खसरा नम्बर 2862 रकबा 0.13 हैक्टयर गौचर भूमि के रूप में गलती से दर्ज कर दिया। राजस्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खसरा नम्बर 2862 रकबा 0.13 हैक्टयर किस्म गै.मु.गौचर को प्रार्थी की खातेदारी एवं खसरा नम्बर 2862/3176 रकबा 0.09 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम को गै.मु.गौचर दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सांचौर को प्रदान करें।

राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर कर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब कर जवाब प्राप्त किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सांचौर ने अपने लिखित अभिकथन में निवेदन किया कि खतौनी बंदोबस्त संवत् 2012 से 2031 के अनुसार पुराना खसरा नम्बर 710 रकबा 51 बीघा 19 बीस्वा किस्म बारानी दोयम वर्तमान खातेदार के पूर्व पुरूषो के नाम दर्ज थी। नवीन खसरा नम्बर 2862/3176 रकबा 0.09 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम पुराने खसरा नम्बर 710 से ही सृजित हुए जो मिलान क्षैत्रफल से बखूबी साबित है। इसी प्रकार नवीन खसरा नम्बर 2862 रकबा 0.13 हैक्टयर किस्म गै.मु.गौचर पुराने खसरा नम्बर 663 रकबा 556 बिघा 2 बिस्वा

सहायक कलेक्टर, सांचौर
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

किस्म गै.मु.गौचर से सृजित हुआ है। जो मिलान क्षैत्रफल से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रेकर्ड दुरस्ती काबिले खारजि होने से खारिज फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के लिखित जवाब एवं रिकार्ड की सत्यापित प्रतिलिपिया का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई। संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन मात्र से यह भली प्रकार सिद्व है कि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज नवीन खसरा नम्बर 2862/3176 रकबा 0.09 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम उनकी खातेदारी के पुराने खसरा नम्बर 710 से सृजित हुए है एवं गै.मु.गौचर पूर्व के खसरा नम्बर 2862 रकबा 0.13 हैक्टयर किस्म गै.मु.गौचर पूर्व के खसरा नम्बर 663 से सृजित हुआ है, जो कभी प्रार्थी या उनके पूर्वजों की खातेदारी में नही रहा। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि द्वितीय सेटलमेंट के अधिकारियों ने खसरा नम्बर 2862/3176 रकबा 0.09 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम को प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नही की है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी ना साबित होने से हम इसे अस्वीकार करना उचित समझते है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 साबित नही होने सारहीन होने एवं विधि के प्रावधानों के विरूद्व होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

उक्त आज दिनांक 10/6/2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner